<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय उच्चतम न्यायलय
फौजदारी अपीलीय अधिकारिता

<u>2019 की फौजदारी अपील सं. 1263</u>
(2018 के वि.अ.या.(फौ.) सं. 8008 से उत्पन्न)

शिव कुमार जटिया .....अपीलार्थी

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य ....प्रत्यर्थी

सहित

2019 की फौजदारी अपील सं. 1264
(2018 के वि.अ.या.(फौ.) सं. 7969 से उत्पन्न)
तथा

2019 की फौजदारी अपील सं. 1265-1267
(2018 के वि.अ.या.(फौ.) 10054-10056 से उत्पन्न)

<u>निर्णय</u>

<u>आर. सुभाष रेड्डी, न्या.</u>

1. इजाजत दी जाती हैं|

2. ये तीन फौजदारी अपीलें, नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2015 के Crl. M.C. Nos. 2209,2208 और 3480 में दिनांक 18.05.18 के समान आदेश एवं निर्णय के विरुद्ध दर्ज की गई, उसी प्रकार इस समान निर्णय और आदेश द्वारा इनका निपटारा किया जाता हैं|

3. 2018 की फौजदारी अपील अथार्त वि.अ.या.(फौ.)सं. 7969 याची द्वारा 2015 के Crl.M.C.No.2208 के विरूद्ध दायर की गई है जो अभियुक्त सं. 4 है| 2018 की फौजदारी अपील अथार्त वि.अ.या.(फौ.)सं.8008 याची द्वारा 2015 के Crl.M.C.No. 2209 के विरूद्ध दायर की गई जो कि अभियुक्त सं. 2 हैं| जबकि 2018 की फौजदारी अपीलें अथार्त वि.अ.या.(फौ.)सं. 10054-56 शिकायतकर्ता द्वारा आक्षेपित निर्णय और समान आदेश के पैरा 143 में जारी निर्देशों से व्यथित होकर दायर किए गए हैं|

4. Crl.M.C. सं. 2208/ 2015, और 2209/2015 में उपर्युक्त विविध आपराधिक मामलें क्रमशः अभियुक्त सं. 4 और अभियुक्त सं.2 द्वारा उनके विरुद्ध दायर किए गए आरोप-पत्र को अमान्य घोषित कराने और आर.के. पुरम पुलिस थाने में दर्ज एफ.आई.आर. सं. 390/2013 में विद्वान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.05.15 को पारित आदेश को चुनौती देने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायलय, नई दिल्ली के समक्ष दायर किए गए थे | आक्षेपित आरोप -पत्र द्वारा फौजदारी

अपील सं. अथार्त वि.अ.या.सं.-7969/2018 और वि.अ.या.(फौ.) सं. 8008/2018 में अपीलार्थियों /अभियुक्तगण के विरुद्ध को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 336 और धारा 338 सहपठित धारा 32 और सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण) अधिनियम, 2003 (इसके आगे 'COTPA 2003' के रूप में उल्लिखित) की धारा 4 के अंतर्गत अपराध के लिए मुकदमा चलाए जाने की मांग की गई है|

5. आरम्भ में, भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के कथित रूप से कारित किए जाने के लिए दिनांक 19.10.2013 को आर.के. पुरम थाने में एफ आई आर सं. 390/2013 में दर्ज किया गया था| जाँच के उपरांत, जाँच एजेंसियों को भारतीय दंड संहिता के धारा 308 के अंतर्गत अपराध का कोई अंश प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने अंततः अपीलार्थियों असीम कपूर -अभियुक्त सं.04 एवं शिव कुमार जटिया -अभियुक्त सं. 2 और छः अन्य को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 336/338 सहपठित धारा 32 और COTPA 2003 की धारा 4 के अंतर्गत आरोपित किया |

6. इन याचिकाओं के निपटारे हेतु संक्षेप में आवश्यक तथ्य अधोलिखित हैं |

7. प्रथमतः दिनांक 17.10.2013 को जानकारी प्राप्त होने पर कि गौरव ऋषि नामक व्यक्ति जो कि बी-18, जी. के. -II, नई दिल्ली का निवासी है, कथित तौर पर सीढियों से गिरने पर एम एल सी सं. 2240/2013 द्वारा फोर्टिस अस्पताल,

वसंत कुंज में भर्ती हुआ है, भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के अंतर्गत अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया | तदुपरांत जाँच के फलस्वरूप यह पाया गया कि चोटिल गौरव ऋषि, हयात रिजेंसी होटल के छठे फ्लोर के छत से होटल के चौथे तल पर गिरा था | जाँच के बाद आगे यह पता चला कि, चोटग्रस्त व्यक्ति होटल की दो निवासी अतिथियों सु. श्री रेबेका एवं सु. श्री मार्गरीटा नामक अमरीकी नागरिक थी से मिला गया था| तथाकथित रूप से वे तीनों छठे तल पर स्थित क्लब में भोजन एवं शराब का सेवन कर रहे थे और वे धूम्रपान के लिये बार-बार छत पर बाहर की तरफ जा रहे थे | जाँच के दौरान, सु. श्री रेबेका एवं सु. श्री मार्गरीटा के बयान एवं अनुपूरक बयान दर्ज किए जिसमे उन्होंने यह कहा है कि 16.10.2013 को गौरव ऋषि (चोटग्रस्त) उनसे सामाजिक भेंट हेतु मिलने के लिए के लिए आया था और वे तीनों होटल के छठे तल पर स्थित एग्जीक्यूटिव लाउन्ज में बैठे थे| लाउन्ज के बगल में छत थी जिसपर होटल अपने मेहमानों को धूम्रपान करने के लिए जाने की अनुमति प्रदान करता है|

8. अभियोजन का यह मामला था कि छत पर अँधेरा था एवं छत पर कोई लाइट नहीं थी और होटल स्टाफ ने उन्हें वहाँ जाने से नहीं रोका| स्पष्टतः यह आरोप हैं कि होटल प्रबंधन की तरफ से अपने मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई थी और उन्होंने मेहमानों को छत पर जाने दिया जो कि सुरक्षित नहीं था| हयात रिजेंसी के सम्बन्ध में उप स्वास्थ्य अधिकारी, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय से प्राप्त आर.टी.आई के जवाब की प्रति का सन्दर्भ देते हुए यह आरोप लगाया कि छठे तल से सटे हुए छत की जगह के लिये होटल को किसी प्रकार का स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंश नहीं जारी किया गया था| आरोप पत्र से यह भी पता चलता है कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली की लाइसेंसिंग शाखा ने हयात रिजेंसी के नाम से जाने जानेवाले एक सार्वजानिक मनोरंजन स्थल के रख-रखाव का प्राधिकार प्रदान करते हुए, इस मामलें के अभियुक्तों में से एक पी. आर. सुब्रमनियन के नाम से लाइसेंस जारी किया था जो कि दिनांक 31.03.2015 तक नवीकृत था| “दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों के रख-रखाव पर नियंत्रण 1980” के नियम 19 के अंतर्गत चार सितारा एवं उससे ऊपर की श्रेणी के लाइसेंस के नियम व शर्तों का सन्दर्भ देते हुए अभियोजन पक्ष का यह अभियोग हैं कि हयात होटल ने लाइसेंस के नियम व शर्तों का अनुपालन नहीं किया| इसी क्रम में होटल प्रबंधन की तरफ से आपराधिक लापरवाही एवं अवैध चूक का आरोप लगाते हेतु निम्नलिखित आरोप लगाए गए| दिनांक 16.03.15 के आरोप-पत्र का प्रवर्तनशील भाग निम्नलिखित हैं:-

“1. मैसर्स एशियन होटल्स (उत्तरी) अपने प्रबंध निदेशक श्री शिव जटिया के द्वारा - यह वो कंपनी है जो हयात रिजेंसी होटल की देख-भाल करती है और होटल में हुए प्रत्येक आपराधिक कृत्य के लिए उत्तरदायी हैं|

2. शिव जटिया, प्रबंध निदेशक, हयात होटल - वे कंपनी के एकमात्र गैर-स्वतंत्र और कार्यकारी निदेशक है| वे सभी समिति बैठकों में अध्यक्ष के रूप उपस्थित रहते है एवं कंपनी, होटल के सभी निर्णय उन्हीं के हस्ताक्षर के अधीन लिए जाते हैं| उन्होंने आगे श्री पी. आर. सुब्रमनियन को कंपनी के लाउन्जिंग लाइसेंस के आवेदन के लिये प्राधिकृत किया था| इसलिए वे मेहमानों के सुरक्षा के सम्बंध में लॉजिंग लाइसेंस / स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के उल्लंघन तथा अपने कर्मचारियों की गलतियों एवं कृत्यों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हैं |

3. श्री पी. आर. सुब्रमनियन - हयात होटल का लॉजिंग लाइसेंस इनके नाम पर प्रदान किया गया था और मेहमानों की सुरक्षा के सम्बन्ध में लॉजिंग लाइसेंस, स्वास्थ्य व्यापर लाइसेंस के उल्लंघन से यह घटना घटी, अतः जिसके लिए वे उत्तरदायी है|

4. श्री असीम कपूर, पुत्र श्री रजिंदर पल कपूर, महाप्रबंधक, हयात होटल, आर. के. पुरम - वे हयात रिजेंसी होटल, आर. के. पुरम के महाप्रबंधक है और होटल के दैनिक कार्यक्रमों के देखभाल की जिम्मेदारी इनकी है और अतिथियों के सुरक्षा के सम्बन्ध में कर्मचारियों के कृत्यों या भूल के लिए भी उत्तरदायी हैं|

5. लेफ्ट. कर्नल दीपक खनिजउ (सेवानिवृत), सुरक्षा निदेशक, वे होटल / मेहमानों की सम्पूर्ण सुरक्षा, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश, होटल में लाइट्निंग, चेतावनी प्रतीक

बोर्ड, सीसीटीवी का अधिष्ठापन और मेहमानों के बचाव तथा सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है|

6. श्री करण लाल, पुत्र श्री विजय लाल, सहायक फ्रंट ऑफिस मैनेजर, हयात रिजेंसी, उनकी भूमिका, उनके शिफ्ट के दौरान फ्रंट ऑफिस के पर्यवेक्षण की होती हैं| घटना के दिन वे शिफ्ट प्रभारी थे और लाउन्ज प्रबंधक ने उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी थी परन्तु चोटग्रस्त को समय रहते अस्पताल पहुचाने में नाकाम रहे|

7. पवन कुमार सिंह (सहायक प्रबंधक, भोजन एवं पेय पदार्थ) हयात रिजेंसी, भिकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली - वे छठे तल पर स्थित लाउन्ज के प्रभारी थे| यह जानते हुए कि छत की जगह धूम्रपान के लिये उचित नहीं है और वहाँ सुरक्षा तथा उचित रौशनी नहीं होने के बावजूद उनके ड्यूटी के दौरान छत को मेहमानों के लिये खोल दिया गया था |

8. अमित घिल्डियाल पुत्र श्री एम. डी. घिल्डियाल, प्रशिक्षु भोजन एवं पेय पदार्थ, हयात होटल - वह छठे तल पर स्थित लाउन्ज के प्रभारी थे| उनके ड्यूटी के दौरान छत मेहमानों के लिए खोला गया था, यह जानते हुए भी की छत धूम्रपान की उचित जगह नही है और वहाँ रौशनी और सुरक्षा नहीं है| इनका नाम भारतीय दंड संहिता के धारा 336, 338 और सहपठित धारा 32 और COTPA 4 के अंतर्गत अपराध के लिए चलान के कॉलम 11 (बिना गिरफ़्तारी) के रखा गया है|

9. अपीलार्थी-अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 482 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विविध अपराधिक मुकदमें दायर किए है, जिसमें उन्होंने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.05.2015 को जारी समान आदेश सहित आक्षेपित कार्यवाही को अमान्य घोषित करने की मांग की है| उक्त याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित समान आदेश दिनांक 18.05.2018 को निपटाया गया| यद्यपि आदेश विस्तीर्ण हैं परन्तु इसके अधिकत्तर भाग विभिन्न दस्तावेजों से प्रतिविरोधों एवं सारांशों का संदर्भ प्रदान करते हैं| उच्च न्यायालय ने यह राय दी कि अपीलार्थी - अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 336 और धारा 338 सहपठित धारा 32 तथा COTPA,2003 के धारा 4 के अंतर्गत अपराध के लिए आर. के. पुरम पुलिस थाने में दर्ज की गई, एफ.आर.आर सं. 390/2013 को अमान्य घोषित करना उपयुक्त नहीं है| यद्यपि, कार्यवाही को अमान्य घोषित करने की अर्जी को अस्वीकार कर दिया गया परन्तु याचियों को विविध अपराधिक मामलों में ऐसे अधिवक्ता के जरिए उपस्थित होने के लिए अनुमति दिया गया जिनकी वकालत-नामा रिकॉर्ड पर है|

10. हमने 2018 के SLP(Crl.)No. 8008 में अपीलार्थियों के लिये वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुल गुप्ता एवं 2018 के SLP(Crl.)No.10054 -10056 में अपीलार्थियों के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम लाल दास को सुना|

11. वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्दार्थ लूथरा ने हमें उच्च न्यायलय द्वारा जारी किए गये आक्षेपित आदेश और रिकॉर्ड पर रखे अन्य सामग्रियों के बारें में जानकारी देते हुए निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी:-

12. पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप -पत्र / अंतिम रिपोर्ट में कथित आरोप से अपीलार्थी -अभियुक्त सं.-02 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के धारा 336, धारा 338 सहपठित धारा 32 और COTPA 2003 के धारा 4 के अंतर्गत कथित अपराधों के लिये किसी मुकदमें की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए| अपीलार्थी-अभियुक्त सं.02 दिनांक 12.10.13 से 19.10.13 तक विदेश में थे| उच्च न्यायलय ने इस मुकदमें पर इस तरह से विचार किया जैसे कि "जाँच लम्बित हो"| धारा 336 के घटकों पर ध्यान आकर्षित करने पर, अविवेकपूर्ण ढंग से या लापरवाही से किए गए कृत्य जिनसे मानवीय जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा का खतरा हो, उनके मूल तत्त्व हैं| अतः ऐसे कोई घटक नही हैं जिनसे अपीलार्थी-अभियुक्त सं.02 पर मुकदमा चलाया जाए| उपरोक्त अधिनियमों के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता के धारा 338 को आकर्षित करने हेतु एवं धारा 336 के अंतर्गत अपराध हेतु मुकदमा चलाये जाने के लिए वांछित गंभीर चोट के अतिरिक्त घटक को निर्दिष्ट एवं सिद्ध किया जाना होगा| अपीलार्थी-अभियुक्त सं.02 जो कि एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कम्पनी, मैसर्स एशियन होटल्स के प्रबंध निदेशक हैं एवं हयात रिजेंसी होटल चलाते हैं, वे न तो होटल के अधिभोगी हैं न ही मालिक या

लाइसेंसधारक हैं| चोटग्रस्त व्यक्ति एवं होटल के अन्य आवासी मेहमान जिनके साथ वो भोजन एवं शराब का सेवन कर रहे थे, होटल में अन्य निर्दिष्ट स्थान होने के बावजूद, उन्होंने धूम्रपान के लिये प्रश्नगत छत के स्थान पर जाने पर जोर दिया| मेसर्स एशियन होटल्स (नार्थ) लि., जिसे अभियुक्त सं. 01 बनाया गया, होटल के मालिक हैं| महज इसलिए कि अपीलार्थी प्रबंध निदेशक के पद पर थे, आपराधिक इरादे के साथ विशिष्ट आरोपों की अनुपस्थिति में अभियोजन के पात्र नहीं हैं| दुर्घटना के लिए निकटम कारण चोटग्रस्त व्यक्ति का कृत्य था जो कि ममटी पर 1 फुट 8 इंच के बाड़ लगे 2 फीट 8 इंच ऊंचे दिवार पर चढ़कर चल रहा था| अभियुक्त सं. 1 होटल का स्वामी हैं और कंपनी के साथ किसी भी व्यक्ति को तब तक अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता जब तक आपराधिक मंशा के साथ सक्रिय भूमिका की पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो| दिल्ली उच्च न्यायलय ने ***सुशिल अंसल बनाम राज्य सी.बी.आई.*** द्वारा के अपने निर्णय पर त्रुटिपूर्वक भरोसा जताया हैं और अपिलार्थियों द्वारा दायर की याचिका को खारिज कर दिया गया|

13. अपने मुकदमें के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा ने इस न्यायालय के ***सुनील भारती मित्तल बनाम सी.बी.आई., मक़सूद सैयद बनाम गुजरात राज्य, शरद कुमार संघी बनाम संगीता राणे और पूजा रविंदर देविद्सानी बनाम महाराष्ट्र राज्य*** मामलें पर इस न्यायलय के निर्णय पर विश्वास जताया|

14. विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त आयुक्त पुलिस के दिनांक 21.08.2015 को जारी आदेश से उद्धृत स्टेटस रिपोर्ट जिसमे सु. श्री गौरी ऋषि के खारिज किए गए अभ्यावेदन का सन्दर्भ दिया|

15. वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुल गुप्ता ने जो होटल महा-प्रबंधक अपीलकर्ता-अभियुक्त सं.4 के लिए उपस्थित हुए, उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी:-

16. पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप -पत्र में आरोपों पर ध्यान देने पर, भारतीय दंड संहिता के धारा 336,338 सहपठित धारा 32 और COTPA 2003 के धारा 4 के अंतर्गत कथित अपराधों के लिए उनके विरूद्ध कोई मुकदमा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता| घटना चोटग्रस्त व्यक्ति के सरासर लापरवाही से घटी, जो कि धूम्रपान के लिए टहलते हुए छत पर जा पहुंचा और 2 फीट 8 इंच ऊँचाई के रेलिंग दिवार पर चढ़ गया जिसपर 1 फूट 8 इंच की अतिरिक्त बाड़ लगा हुआ था| घटना के दिन अपीलार्थी-अभियुक्त सं.-4 देश से बाहर भी था| सिर्फ इस आधार पर कि अपीलार्थी-अभियुक्त सं.-4 महा-प्रबंधक हैं, उसे परोक्ष तौर पर उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता चूंकि वो होटल के लाइसेंस-धारक भी नहीं हैं|

17. वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता ने सुनील भारती मित्तल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामले में निर्णय का सन्दर्भ लिया है और अपने मामले के समर्थन में अन्य निर्णयों पर भी विश्वास जताया हैं|

18. चोटग्रस्त के बहन द्वारा दायर की गई फौजदारी अपील 2018 के वि.अ.या.(फौ.)सं. 10054-10056 में पेश हुए वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम लाल दास ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी :-

19. अपिलार्थियों -अभियुक्त सं.02 और 04 के विरूद्ध लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन और लापरवाही के सम्बन्ध में कार्यवाही रद्द करने का कोई मामला नहीं बनता | अपीलार्थी-अभियुक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं महाप्रबंधक होने के नाते अपने और होटल के अन्य प्रभारी व्यक्तियों की लापरवाही जिसके कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमे अपीलार्थी के भाई को भी गंभीर चोट आई, उसके उत्तरदायित्व से नहीं भाग सकते| उच्च न्यायलय द्वारा जारी किए गए आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है| वहीं उच्च न्यायलय ने आरोपियों को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए छुट प्रदान करने में, गूढ़ और अविवेकी तरीके से निर्देश जारी करने में त्रुटी की है| व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की छुट पर विचार धारा 205 और/ या दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 317 के अंतर्गत सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जा सकता हैं |

20. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायलय के विभिन्न निर्णयों को प्रस्तुत किया जिसमे दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 482 के आयाम पर विचार किया गया हैं| विद्वान अधिवक्ता ने अपने मामलें के समर्थन में टीजीएन कुमार बनाम केरल

राज्य और अन्य तथा मदन मोहन बनाम राजस्थान राज्य के मामलें में निर्णय पर भरोसा जताया है|

21. दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा रखी गई दलीलों के विस्तृत प्रस्तुतियों पर हमने विचार किया है और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्रियों एवं आदेशों का अवलोकन किया|

22. हमने उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आक्षेपित आदेश का भी अवलोकन किया| न्यायालय ने दलीलों का विस्तार से संदर्भ लिया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है की यह कार्यवाही को अमान्य घोषित किए जाने के योग्य मामला नहीं है| उच्च न्यायलय ने मुख्य रूप से ***सुशील अंसल बनाम राज्य सी.बी.आई*** के द्वारा मामलें में इस न्यायलय के निर्णय पर भरोसा जताया है| उन आदेशों के बारें में जिन्हें हम जारी करने के लिये प्रस्तावित करते है, हमारा मानना है कि जाँच-परिणाम को विस्तार से दर्ज करने की आवश्यकता नही, बल्कि इन अपीलों के निपटारें के लिए आवश्यक सीमा तक किया जाना चाहिए| चूंकि ज्यादात्तर याचिकाएं दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 482 के अंतर्गत कार्यवाही अमान्य घोषित करने के लिए आवेदन पर जारी आदेश के विरूद्ध दायर की गई है, विभिन्न विवादास्पद मुद्दों पर कोई निष्कर्ष विचारण के दौरान पक्षकारों के मामले को पुर्वग्राहित करेगा|

23. आरम्भ में यह पाया गया कि अभियुक्त सं. 1- मेसर्स एशियन होटल्स (नार्थ) जो कि होटल हयात रिजेंसी चलाने वाली सूचीबद्ध सार्वजानिक कंपनी है, अभियुक्त सं. 4 इसमें महाप्रबंधक हैं और अन्य कर्मचारी जो विभिन्न विभागों के प्रभारी है, उन्हें भी अपिलार्थियों (अभियुक्त) के अलावा अभियुक्त बनाया गया है| जहाँ तक अभियुक्त सं.02 का सम्बन्ध है, वह मामले के पहले अभियुक्त मेसर्स एशियन होटल्स (नार्थ) का प्रबंध निदेशक है| अपीलार्थी-शिव कुमार जटिया पर केवल इस आधार पर मुकदमा चलाने की मांग की गई की वो हयात रिजेंसी होटल को चलाने वाले मेसर्स एशियन होटल्स (नार्थ) लि. के प्रबंध निदेशक हैं और वे कंपनी के इकलौते गैर स्वतंत्र एवं कार्यकारी निदेशक हैं और कंपनी के बोर्ड के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं एवं निर्णय उनके हस्ताक्षर के अधीन लिए जाते है| इसके अलावा यह भी दलील दी गई कि उन्होंने श्री पी. आर. सुब्रमनियम को कंपनी के लॉजिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत किया था| अतएव वे अपने कर्मचारियों के सभी कृत्यो एवं भूल-चूक के लिए तथा लॉजिंग लाइसेंस /स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस इत्यादि के उल्लंघन के लिए भी वे पूरी तरह से उत्तरदायी हैं|

24. जहाँ तक अभियुक्त सं.4 -असीम कपूर का सम्बन्ध है, वे कथित तौर पर हयात रिजेंसी के महा-प्रबंधक है| चूँकि वे होटल के दैनादिन मामलों की देखभाल के

लिए उत्तरदायी हैं अतः मेहमानों की सुरक्षा के सम्बन्ध में अपने कर्मचारियों के कृत्यों एवं भूल-चूक के लिए वे भी उत्तरदायी हैं|

25. श्री पी. आर. सुब्रमनियम जिनके नाम पर होटल की लॉजिंग लाइसेंस प्रदान किया गया हैं, उन्हें भी एक अभियुक्त बनाया गया हैं|

26. धारा 336 के अंतर्गत कथित अपराध को सिद्ध करने के लिए मुख्य अवयव मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने हेतु लापरवाही से या अविवेकपूर्ण तरीके से किए गए कृत्य है| धारा 338 के अंतर्गत अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने हेतु धारा 336 के अवयवों के आलावा गंभीर चोट के अतिरिक्त परिणाम को भी सिद्ध करना होगा| रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई सामग्रियों से स्पष्ट होता है कि घटना की रात को अपीलार्थी (A4) देश में नहीं था और होटल का लाइसेंस अभियुक्त नं. 3 पी. आर. सुब्रमनियन के नाम पर था| होटल का स्वामी मैसर्स एशियन होटल्स लिमिटेड (नार्थ) एक सूचीबद्ध कंपनी हैं, जिसे अभियुक्त सं.1 बनाया गया है| आरोप-पत्र में अपीलार्थी (अभियुक्त सं.2) के विरूद्ध लगाए आरोपों को सतही तौर पर स्वीकार करने पर जहाँ तक शिव कुमार जटिया का सम्बन्ध हैं उपरोक्त अपराध के लिए सिर्फ इस आधार पर उनपर मुकदमा चलाए जाने की मांग की है कि वो होटल हयात रिजेंसी को चलाने वाले मेसर्स एशियन होटल्स (नार्थ) के प्रबंध निदेशक है और इस आधार पर भी के

कंपनी के एकमात्र गैर-स्वतंत्र और कार्यकारी निदेशक है जो कंपनी के बैठकों की अध्यक्षता करते है एवं विभिन्न निर्णयों के हस्ताक्षरी है|

27. कॉरपोरेट आपराधिक देयता में कंपनी के नियंत्रक प्राधिकारियों/निदेशकों की देयता ***सुनील भारती मित्तल*** मामले में इस न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया है| उपरोक्त मामलों में उन परिस्थतियों पर विचार करने पर जब कंपनी के मामलों के प्रभारी निदेशक/व्यक्ति को भी अभियुक्त व्यक्ति हो, न्यायालय ने यह मत रखा कि कॉरपोरेट इकाई एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कि अपने अधिकारियों, निदेशकों, प्रबंध निदेशकों, अध्यक्ष आदि द्वारा कार्य करता है| जब ऐसी कंपनी आपराधिक मनः स्थिति (Mens Rea) के साथ कोई अपराध करे तो यह कंपनी की ओर से कार्य कर रहे व्यक्ति की मंशा या कार्रवाई होती है| वहीँ यह पाया गया है कि दांडिक अधिकारिता का यह मुख्य सिद्धांत है कि कोई परोक्ष देयता नहीं होती, सिवाय कानून में विशिष्ट रूप से दिया गया हो| इस क्रम में कोर्ट ने यह मत रखा कि कोई व्यक्ति अगर कंपनी की तरफ से अपराध को अंजाम दे, तो उसे भी कंपनी के साथ अभियुक्त बनाया जाएगा बशर्ते आपराधिक मंशा के साथ उसकी सक्रिय भूमिका की पर्याप्त साक्ष्य हो| इसके अलावा यह भी मत रखा गया कि कोई भी व्यक्ति उन्हीं मामलो में अपराधी ठहराया जाएगा जहाँ कानून व्यवस्था स्वयं विशिष्ट रूप से उन प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए परोक्ष देयता के सिद्धांत को आकृष्ट करता है|

28. यद्यपि होटल के और होटल के दैनादिन मामलो के प्रभारी अधिकारियों के तरफ से लापरवाही के आरोप तो लगाये गये है परन्तु जहाँ तक अपीलार्थी अभियुक्त सं. 02 शिव कुमार जटिया का सम्बन्ध हैं उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के धारा 338 सहपठित धारा 32, 336 के अंतर्गत प्रावधानों को आकृष्ट करता हुआ आपराधिक मंशा से लापरवाही का प्रत्यक्ष उत्तरदायी होने का आरोप नहीं लगाया गया हैं| अंतिम रिपोर्ट की ज्यों कि त्यों सामग्री को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत हैं कि उनके विरुद्ध सिर्फ इस आधार पर कि वे होटल हयात रिजेंसी को चलाने वाली मैसर्स एशियन होटल्स (नार्थ) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे, कार्यवाही करने का न ही कोई कारण है और न ही ये न्यायोचित है| जहाँ तक अपीलार्थी-अभियुक्त सं.02 महज इस तथ्य के आधार पर कि वे कम्पनी के बैठकों की अध्यक्षता करते थे और निर्णय लेते थे स्वयं पर लापरवाही के आरोपों को आपराधिक मंशा से प्रत्यक्ष तौर नही जोड़ा जा सकता हैं| सुनील भारती मित्तल मामले में न्यायालय के निर्णय को लागू करते हुए हमारा यह विचार है कि इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए उपरोक्त मत अपीलार्थी/अभियुक्त सं.02 के मामले का समर्थन करता है।

29. इस न्यायालय द्वारा **<u>सुनील भारती मित्तल</u>** मामलें में निर्धारित अनुपात को लागू करते हुए यह स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति यदि कंपनी का निदेशक या प्रबंधन निदेशक या अध्यक्ष है, उसे कंपनी के साथ अभियुक्त बनाया जा सकता है,

बशर्ते उसकी आपराधिक मंशा के साथ सक्रिय भूमिका को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सामग्री हो| इसके अलावा आपराधिक मंशा का अभियुक्त के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना चाहिए| इसके अतिरिक्त इस न्यायालय ने ***मकसूद सैयद बनाम गुजरात सरकार*** एवं अन्य मामले में कंपनी के विरूद्ध लगाए गये आरोपों के लिए निदेशकों की परोक्ष देयता का परीक्षण किया है| उपरोक्त निर्णय में न्यायालय ने यह मत रखा था कि दंड संहिता में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिससे कंपनी के अभियुक्त होने पर कंपनी के निदेशक या प्रबंधन निदेशक पर परोक्ष देयता लगाया जाए| यह विचार प्रस्तुत किया गया कि प्रबंधन निदेशक या निदेशक की परोक्ष देयता का प्रश्न तभी उठता है जब इसके सम्बन्ध में कानून में कोई प्रावधान हो| इस क्रम में यह भी मत रखा गया कि कानून में निर्विवाद रूप से ऐसी परोक्ष देयता को निश्चित करने का प्रबंध होना चहिए| यह भी कहा गया कि उक्त उदेश्य के लिए भी यह दायित्व शिकायतकर्ता पर होगा की वह उचित अभियोग लगाए जो परोक्ष देयता सम्बन्धी उपबंधों को आकृष्ट करें|

30. शरद कुमार संघी बनाम संगीता राणे मामले में इस न्यायालय के निर्णय में कंपनी के प्रबंध निदेशक के विरूद्ध लगाए गये आरोपों की जाँच करने पर जिसमे कंपनी पक्षकार नहीं है इस न्यायालय ने यह मत रखा था कि प्रबंध निदेशक के विरूद्ध लगाया गया आरोप संदिग्ध प्रकृति का है अतः यह दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 482 के अंतर्गत कार्यवाही के अमान्य घोषित किए का आधार हो सकता है|

मौजूदा मामले में आरोप मुख्य तौर पर हयात रिजेंसी होटल चलाने वाली कंपनी प्रथम अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए है| ठीक इसी समय, उस कंपनी के प्रबंधन निदेशक जो कि अभियुक्त सं.2 है, उनके विरुद्ध यह अस्पष्ट आरोप लगाते हुए पक्षकार बनाया गया है कि वे कंपनी के सभी बैठक में भाग लेते थे और विभिन्न निर्णय उनके हस्ताक्षर के अंतर्गत लिए जाते है| उपरोक्त मामले में निर्धारित अनुपात को लागू करने पर यह स्पष्ट होता है कि आरोप मुख्य तौर पर केवल कंपनी और कंपनी के दैनादिन मामलो के प्रभारी अन्य कर्मचारी सदस्यों के विरुद्ध ही लगाये गए है| कंपनी के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध किसी निश्चित आरोप की अनुपस्थिति में तथा अस्पष्ट प्रकार के आरोपों की प्रकृति के आधार पर हमारा विचार हैं कि जहाँ प्रबंध निदेशक का सम्बन्ध है, यह कार्यवाही अमान्य घोषित किए जाने योग्य मामला है|

31. इस न्यायालय के दिनांक 03.07.2015 को जारी आदेश के अनुपालन में, संयुक्त आयुक्त पुलिस द्वारा दिनांक 21.08.15 को जारी आदेश जिसके द्वारा सु.श्री गौरी ऋषि के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया, उसे भी रिकॉर्ड पर रखा गया है| उक्त आदेश होटल हयात रिजेंसी के लाइसेंस नवीनीकरण के सम्बन्ध में अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए डी.सी.पी.(दक्षिणी) जिला द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट का सन्दर्भ प्रदान करता है| उक्त रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रिजेंसी क्लब के छठे तल से सटा हुआ एक छत है जिसे मेहमानों के लिए धूम्रपान

क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है चूँकि रिजेंसी क्लब मेहमानों के लिए धूम्रपान वर्जित क्षेत्र है| 11.30/40 बजे रात में होटल की दोनों महिला आवासी अतिथि (रेजिडेंट गेस्ट) जो कि अमेरिकी नागरिक थी और गौरव ऋषि (चोट ग्रस्त) धूम्रपान के लिए छत पर गए थे| आगे और कहा गया कि जब दोनों महिलाएँ बातें कर रही थी एवं धुम्रपान कर रही थी, गौरव ऋषि चढ़कर ममटी के छत पर आ गया जो कि छत के अग्र कोने पर स्थित था| यह भी अभिव्यक्त किया गया है कि छत की ममटी आपातकालीन प्रस्थान के लिये थी और उसकी मरम्मत की जा रही थी| उस पर 2 फीट 8 इंच ऊँचाई की रेलिंग दीवार लगी थी जिसपर 1 फुट 8 इंच की लोहे की अतिरिक्त रेलिंग लगी थी|

32. होटल के महाप्रबंधक एवं होटल के दैनादिन मामलो के प्रभारियो के लापरवाही एवं लाइसेंस शर्तों के तथाकथित उल्लंघन के सन्दर्भ में इस मामले की विचारण के दौरान ही जाँच की जानी चाहिए थी| यद्यपि अभियुक्त सं.04/महाप्रबंधक का मामला है कि वे घटना के दिन देश से बाहर थे, ठीक उसी समय यह ध्यातव्य है कि वे उस होटल के महाप्रबंधक है और यदि कोई प्रभारी व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है तो यह ऐसा मामला है जिसकी विचारण के दौरान ही जाँच होनी चाहिए थी| उनका मैसर्स एशियन होटल्स लि. (नार्थ) के प्रबंधन निदेशक अभियुक्त सं.02 से अलग मुकाम है| जब महाप्रबंधक एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध लापरवाही एवं लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है,

उपयुक्त जाँच के परिणाम सम्पूर्ण जाँच के बाद रिकॉर्ड की जाएगी| संयुक्त पुलिस आयुक्त के दिनांक 21.08.2015 के जारी आदेश से संदर्भित स्थिति रिपोर्ट को आधार बनाकर लापरवाही के जाँच -परिणाम को रिकॉर्ड करना सम्भव नहीं है|

33. अपीलार्थी (अभियुक्त) को COTPA 2003 के धारा 4 के अंतर्गत कथित अपराध के लिए भी अभियोजित करने की मांग की गई है| अपीलार्थी -अभियुक्त को COTPA 2003 के धारा 4 के अंतर्गत अपराध में अभियोजित करने के लिए यह आरोप लगाया गया है कि छठे तल की छत मेहमानों के लिए खोला गया था, यह जानने के बावजूद की छत की जगह उचित धूम्रपान क्षेत्र नही थी और वहाँ उचित रौशनी और सुरक्षा का प्रबंध नही था| धारा 4 एवं COTPA 2003 के कथित धारा के नियम इस प्रकार है:-

“4. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध-कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान नहीं करेगा:

बशर्ते किसी होटल में 30 कमरे हो या ऐसे रेस्त्रां में 30 व्यक्ति या उससे ज्यादा लोगो के बैठने की जगह हो तथा एयरपोर्ट पर धूम्रपान क्षेत्र के लिए अलग प्रावधान या जगह बनाया जाएगा| अधिनियम के धारा 4 के उपरोक्त पाठ से स्पष्ट है कि यह सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाता है| हालांकि नियम के अनुसार 30 कमरों वाले होटल और ऐसा रेस्त्रां जिसमे 30 या उससे अधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो या हवाई -अड्डे पर धूम्रपान क्षेत्र या

जगह के लिए एक अलग प्रावधान किया जाएगा| यह स्पष्ट हैं कि यह 30 कमरों वाले होटल या 30 से अधिक व्यक्तियों की बैठने की क्षमता से अधिक के रेस्त्रां के लिए अलग से धूम्रपान क्षेत्र के प्रावधान के लिए बाध्य करता है| इस मामले में महज यह आरोप लगाया गया है कि यद्यपि छत एक धूम्रपान क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं था, परन्तु चोटग्रस्त एवं होटल के अन्य आवासी मेहमानों को छठे तल के छत की जगह पर धूम्रपान करने के लिए अनुमति दी गई| यह अपीलार्थी-अभियुक्त की विशिष्ट स्थिति है कि होटल के लॉबी-स्तर पर अलग से धूम्रपान क्षेत्र है| इस आरोप की गैर-मौजूदगी में कि होटल ने समूचे किसी प्रकार के धूम्रपान क्षेत्र का प्रावधान नहीं रखा अपीलार्थी -अभियुक्त को COTPA 2003 के धारा 4 के अंतर्गत अपराध के लिए मुकदमा चलाए जाने को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता| यदि इन आरोपो को आरोप-पत्र में उल्लिखित स्पष्ट आशय पर लिया जाए तो भी दोनों ही अपीलकर्ताओं के लिए COTPA 2003 के धारा 4 के अंतर्गत कथित रूप से उनके द्वारा किए गए अपराधों के अभियोजन के लिए कोई अपराध नहीं बनता| उपरोक्त कारणों से जहाँ तक COTPA 2003 के धारा 4 अंतर्गत अभियोजन का सम्बन्ध है, यह दोनों ही अभियुक्त सं.02-शिव कुमार जटिया तथा अभियुक्त सं.04-असीम कपूर के विरुद्ध अमान्य घोषित किए जाने योग्य है|

34. उच्च न्यायालय द्वारा जारी आक्षेपित आदेश के पठन के उपरांत हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने मुख्यतः सुशील अंशल बनाम सी.बी.आई. के द्वारा राज्य वाद के निर्णय पर भरोसा जताया है| उपरोक्त मामला उपहार सिनेमा से सम्बन्धित था, जिससे आग लगने के उपरान्त बहुत सारे लोगो की मृत्यु हो गई थी| यह ऐसा मामला था जिससे घटना से एक दिन पहले ट्रांसफार्मर की मरम्मत की गई थी और मरम्मत उचित तरीके से नहीं किया गया था| ट्रान्सफर के दोषपूर्ण मरम्मत के कारण कनेक्शन ढीला रहा गया जिससे ट्रांसफार्मर में आग लग गई और पार्किंग लॉट की सभी कारें आग में जल गई जिससे हॉल में सिनेमा देखने वालो का दम घुटने लगा| आगे यह भी बताया गया हैं कि उस मामलें में 8 सीटों वाली बॉक्स को जोड़ा गया था जिससे बालकनी के दायीं तरफ का प्रस्थान बंद हो गया था| यह भी पाया कि सिनेमा हॉल के मालिक ने थिएटर में 52 अतिरिक्त सीटें जोड़ी थी जिससे सिनेमा हॉल के दायीं तरफ का गलियारा अवरुद्ध हो गया था| उपरोक्त मामलें A-1 और A-2 दोनों ही कंपनी में अपने पद के कारण नहीं बल्कि उनके विरुद्ध लगायें गए विशिष्ट आरोपों के कारण दोषी पाए गए| उपरोक्त मामलें के कारण दोषी पाए गए| उपरोक्त मामलें में अभियुक्त स्वयं ही अधिभोगी थे, वहाँ नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ था, जिसका दोषियों के मौत से प्रत्यक्ष सम्बन्ध था| इसके अतिरिक्त वर्तमान मामलें के तथ्यों एवं

परिस्थितियों को देखने पर उक्त मामले को अपीलार्थी -अभियुक्त के विरुद्ध लागू नही किया जा सकता|

35. उपरोक्त संदर्भित निर्णय-विधि के सम्बन्ध में मौजूदा मामलों के तथ्यों को लागू करते हुए हमारा यह मत है कि न्यायालय प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए आपराधिक दंड संहिता के धारा 482 के अंतर्गत निहित शक्तियों के उपयोग हेतु 2018 के Crl.Appeal@SLP(Crl.)No.8008 में अपीलार्थी अभियुक्त सं.02 शिव कुमार जटिया का मामला ***हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल*** मामले में से एक परिगणित श्रेणी में आता है|

36. 2018 के वि.अ.या.(फौ.)10054-1056 की फौजदारी अपील में पीड़ित के बहन ने उच्च न्यायलय द्वारा जारी उस निर्देश पर भी यह प्रश्न उठाया जिसमे उन्हें अधिवक्ता के जरिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की गई जब ऐसे न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने के लिए अनुमति दी गई जब इसके लिए विचारण न्यायलय द्वारा विशिष्ट निर्देश है| अपीलार्थी - शिकायतकर्ता का उपरोक्त आपराधिक याचिका में मामला यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 482 के अंतर्गत दर्ज किए गए आपराधिक विविध मामले को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने उपर उल्लिखित के अनुसार अनुदेश जारी करने मे त्रुटि की है| उक्त अपीलार्थी का मामला यह है कि व्यक्तिगत पेशी से

छुटकारा देने और अभियुक्त को अधिवक्ता के जरिए उपस्थित होने की अनुमति पर दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 205 और /या 317 के अंतर्गत केवल मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचार किया जा सकता है| परन्तु किसी कारण को दर्ज किए बिना उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे निर्देश जारी किए गए जो कि याचिकाओं मे आक्षेपित कर दिया गया है| ऐसे निर्देशों का अवलोकन करने पर जिनमे अभियुक्त को एक अधिवक्ता के जरिए पेश होने की अनुमति प्रदान की गई है, यह पाया गया है की ऐसे आदेश धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त अपने निहित शक्तियों के प्रयोग में उच्च न्यायालय के शक्तियों के अधीन आता है| इन याचिकाओं में जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की प्रकृति के सम्बन्ध है जैसा की ऊपर सन्दर्भ दिया गया है हमारा विचार है कि इसमें हस्तक्षेप करने के लिए यह मामला उपयुक्त नहीं है|

37. उपरोक्त कारणों से शिव कुमार जटिया, अभियुक्त सं.02 द्वारा दायर किए गए फौजदारी अपील S.L.P(Crl.)No.8008/2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा 2015 के Crl.M.C. No. 2209 में जारी दिनांक 18.05.2018 के आदेश को ख़ारिज करते हुए, स्वीकार कर ली गई है| इसी अनुक्रम में अपीलार्थी (A-2) के विरूद्ध चलाये गए आपराधिक कार्यवाही एवं आर. के. पुरम पुलिस थाने की फाइल में एफ.आई.आर. सं. 390/2013 में दायर किए गए आरोप-पत्र एवं विद्वान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा जारी

दिनांक 16.05.2015 के समन आदेश यहाँ तक की उक्त अपीलार्थी से सम्बन्धित है, निरस्त किए जाते है|

38. अभियुक्त सं.-4 असीम कपूर के विरुद्ध आर. के. पुरम पुलिस थाने की फाइल में एफ.आई.आर. सं. 390/2013 में दायर किए गए आरोप-पत्र तथा इसके अलावा केवल उसके विरुद्ध COTPA 2003 की धारा 4 के अंतर्गत तथाकथित अपराध के लिए चलाई गई कार्यवाही की सीमा तक के दिनांक 16.05.2015 के समन आदेश को निरस्त करते हुए उनके द्वारा दायर किए गए 2018 के वि.अ.या.(फौ.)सं.-7969 की फौजदारी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है|

39. सु.श्री गौरी ऋषि द्वारा दायर की गई 2018 की वि.अ.या.(फौ.)सं. 10054-10056 फौजदारी अपील खारिज की जाती है|

40. हम यह स्पष्ट करते है की दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा 18.05.18 को पारित किए गए आक्षेपित आदेश में दर्ज की गई टिप्पणियों एवं जांच-परिणाम और इस न्यायालय का आदेश सिर्फ इन याचिकाओं के निपटारे के उद्देश्य के लिए है जो दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 482 के अंतर्गत दायर किए गए आवेदन के अंतर्गत आती है|

41. हम आगे यह भी स्पष्ट करते है कि विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगा कि वह विचारण पश्चात विधि अनुसार मुक़दमे को देखते हुए इसकी अपनी गुणवत्ता पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित करे|

.....न्या.
(अभय मनोहर सप्रे)

.....न्या.
(आर. सुभाष रेड्डी)

नई दिल्ली,
अगस्त 23, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|